मेलों के दौरान चाक चौबंद रहे व्यवस्थाएं, सभी विभाग रखें आपसी समन्वय : वृष्णि

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने आगामी दिनों में जिले में भरने वाले मेलों के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को बैठक ली।

जिला कलेक्टर ने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय रखते हुए सर्तकता एवं सावधानी के साथ मेलों का प्रभावी प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस मय चिकित्सक एवं आवश्यक दवाईयां तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्य मार्गों के निकट पड़ने वाले निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों और ट्रोमा सेंटर चिन्हित करने और मेला अवधि तक इन्हें राउंड द क्लॉक संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा केन्द्रों पर आवश्यक दवाईयां और टोल नाकों पर अस्थाई मेडिकल कैम्प संचालित करने को भी कहा।

जिला कलेक्टर ने पुलिस, रोडवेज एवं परिवहन विभाग को जन सहयोग से पैदल यात्रियों के बैग, ऊंटगाडों, वाहनों आदि पर रिफ्लेक्टर लगवाने को कहा। बीकेसीएल को सड़कों पर ढीले तारों को कसवाने, ट्रांसफार्मर के आसपास फेंसिंग, रोड लाइट व अन्य विद्युत संबंधित व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग करने को कहा। एनएच के अधिकारियों को नेशनल हाईवे पर स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सेवादलों के शिविरों एवं टैंट को सड़क से दूर लगवाने के लिए पांबद करने के निर्देश दिए। पीडब्लयूडी, एन. एच. और एनएचएआई के अधिकारियों को फील्ड विजिट कर दृष्टि बाधित करने वाले स्थानों से झाड़ियों की छंटाई करने के निर्देश दिए है।

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मेलों के दौरान श्रद्धालुओं वालों को किसी भी परेशानी ना हो। इसके लिए कानून एवं यातायात व्यवस्था के माकूल प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से भारी वाहनों का ट्रैफिक डायवर्जन किया जाना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि परिवहन एवं रोडवेज विभाग डायवर्ट रूट के होर्डिंग राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर लगाना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) उम्मेद सिंह रतनू, एसडीएम बीकानेर कविता गोदारा, एसडीएम श्रीडूंगरगढ़ उमा मित्तल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ऊंटगाडों पर लगाये रिफ्लेक्टर : हर तरफ बाबा का जयकारा और चारों तरफ भक्तिमय माहौल और उसके साथ हर श्रद्धालु की सेवा के लिए रोटरी क्लब बीकानेर मरूधरा ने वाहनों और ऊंटगाडों पर रिफ्लेक्टर लगाए। संयोजक रोटे. राहुल महेश्वरी ने बताया कि बाबा रामदेव की कृपा से सत्कार सेवा समिति के तत्वावधान में रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर मरूधरा के साथियों द्वारा रामदेवरा पैदल यात्रियों हेतु सेवा शिविर का आयोजन 02 से 4 सितम्बर तक कोडमदेसर फांटे से आगे आयोजित किया जा रहा है। जिसमें पैदल श्रद्धालुओं की सेवा रूप में प्राथमिक चिकित्सा, शीतल जल, नींबू शिकंजी, छाछ, शरबत, चाय, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, नाश्ता, सुबह शाम का भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। वाहनों के साथ ऊंटगाड़ों पर रिफ्लेक्टर भी लगाये गए।

रोटरी क्लब बीकानेर मरूधरा के अध्यक्ष रोटे. शकील अहमद ने बताया कि रोटरी मरूधरा द्वारा पिछले काफी अर्से से शहर में आयोजित होने वाले मेलों में सभी वाहनों और ऊंटगाड़ों पर रिफ्लेक्टर लगाये जा रहे हैं। सेवा कार्य में रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर मरूधरा के सहायक प्रांतपाल रोटेरियन पुनीत हर्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल माहेश्वरी, रोटेरियन नारायण कल्याणी आदि सदस्यों ने अपना सहयोग प्रदान किया।

बीकानेर कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मेलों के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक ली।

- दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा
- पुलिस अधीक्षक ने मेलों के दौरान श्रद्धालुओं वालों को किसी भी परेशानी ना हो। इसके लिए कानून एवं यातायात व्यवस्था के माकूल प्रबंधन करने के निर्देश दिए

गोगामेड़ी मेले में खाद्य सामग्री के सत्रह सैम्पल लिए

हनुमानगढ़,(कासं)। जिले में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने खण्ड नोहर में आयोजित गोगामेड़ी मेले में निरीक्षण की कार्यवाही कर सैम्पल एकत्रित किए गए।

जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दल ने खाद्य व्यवसायियों को साफ-सफाई रखने, खाद्य पदार्थों को ढ़ककर रखने सहित स्वच्छ खाद्य सामग्री का बेचान करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत गोगामेड़ी मेले में अधिक सैम्पल लेने की कार्यवाही की जा रही है ताकि मिलावट करने वालों पर नकेल कसी जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत नोहर में चल रहे गोगामेड़ी मेले में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा खाद्य व्यवसायियों को स्वच्छ खाद्य सामग्री बनाने एवं विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण दल में शामिल एफएसओ रफीक मोहम्मद, एफएसओ सुदेश कुमार एवं सहायक कर्मचारी हीरावल्लभ मेले में सत्रह सैम्पल संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला भिजवाएं। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा दल ने 9 सैम्पल आइसक्रीम, 3 सैम्पल रबड़ी कुल्फी, एक सैम्पल रिफाइंड ऑयल, एक सैम्पल दही, दो सैम्पल दूध तथा एक सैम्पल हल्दी पाउडर का लिया गया। डॉ. नवनीत शर्मा ने कहा कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्य स्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें ताकि मिलावट पर प्रभावी कार्रवाई हो सके।

सार-समाचार

अब सूबेदारगंज से चलेगी रेल

बीकानेर, (कासं)। कुम्भ मेले के कारण प्रयागराज-बीकानेर-प्रयागराज रेलसेवा के टर्मिनल स्टेशन में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए रेलवे ने संशोधित कार्यक्रम बदल दिया है। प्रयागराज के स्थान पर सूबेदारगंज से आगमन और प्रस्थान करेगी। रेलवे पीआरओ की अनुसार महाकुम्भ 2025 मेले को देखते हुए रेलवे की ओर से प्रयागराज-बीकानेर-प्रयागराज रेलसेवा के टर्मिनल स्टेशन में परिवर्तन किया जा रहा है। यह रेल सेवा प्रयागराज के स्थान पर सूबेदारगंज से आगमन/प्रस्थान करेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाडी संख्या 12403, प्रयागराज-बीकानेर रेलसेवा 11 जनवरी 25 से 27 फरवरी तक प्रयागराज के स्थान पर सूबेदारगंज स्टेशन से 23.15 बजे बीकानेर के लिए प्रस्थान करेगी। गाडी संख्या 12404, बीकानेर-प्रयागराज रेलसेवा दस जनवरी से 26 फरवरी तक बीकानेर से प्रस्थान करेगी वह प्रयागराज के स्थान पर सूबेदारगंज स्टेशन पर 04.40 बजे आगमन करेगी। गाडी संख्या 20403, प्रयागराज-बीकानेर रेलसेवा दस जनवरी से 28 फरवरी तक प्रयागराज के स्थान पर सूबेदारगंज स्टेशन से 23.15 बजे बीकानेर के लिए प्रस्थान करेगी। गाडी संख्या 20404, बीकानेर-प्रयागराज रेलसेवा नौ जनवरी 25 से 27 फरवरी 25 तक बीकानेर से प्रस्थान करेगी। वह प्रयागराज के स्थान पर सूबेदारगंज स्टेशन पर 04.40 बजे आगमन करेगी। अगले साल जनवरी से फरवरी के बीच होने वाले कुंभ मेले को लेकर रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। अब टिकट रिजर्वेशन शुरू होने वाला है। इसलिए ट्रेन का गंतव्य बदल गया।

उपचुनाव वाले क्षेत्र में अवकाश

श्रीगंगानगर, (कासं)। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर के नगरीय विकास निर्वाचन क्षेत्र नगर परिषद श्रीगंगानगर के वार्ड संख्या 25 के सदस्य पद हेतु 5 सितम्बर 2024 गुरूवार को मतदान तिथि घोषित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका लोकबंधु ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों में परकाम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अवकाश घोषित किया गया है ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सके। निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, किसी कारोबार या व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को मतदान करने का हक है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com, Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2024/3865 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 4.9.2024
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 04 में भूखण्ड सं. 45 माप 30'-0'' गुणा 52'-6'' फीट के नियमल/पटटा हेतु आवेदक श्री अनिल कुमार जग्गा पुत्र श्री राजपाल जग्गा निवासी 4-बी-36 जवाहर नगर श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखंड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखंड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री अनिल कुमार जग्गा पुत्र श्री राजपाल जग्गा निवासी 4-बी-36 जवाहर नगर श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 04 में भूखण्ड सं. 45 माप 30'-0'' गुणा 52'-6'' फीट का नियमन पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। न्यास, किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com, Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2024/3864 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 4.9.2024
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 04 में भूखण्ड सं. 46-बी माप 15'-0'' गुणा 52'-6'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्री अनिल कुमार जग्गा पुत्र श्री राजपाल जग्गा निवासी 4-बी-36 जवाहर नगर श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री अनिल कुमार जग्गा पुत्र श्री राजपाल जग्गा निवासी 4-बी-36 जवाहर नगर श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 04 में भूखण्ड सं. 46-बी माप 15'-0'' गुणा 52'-6'' फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com, Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2024/3863 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 4.9.2024
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 04 में भूखण्ड सं. 46-ए माप 15'-0'' गुणा 52'-6'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्री अनिल कुमार जग्गा पुत्र श्री राजपाल जग्गा निवासी 4-बी-36 जवाहर नगर श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरांत आवेदक श्री अनिल कुमार जग्गा पुत्र श्री राजपाल जग्गा निवासी 4-बी-36 जवाहर नगर श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 04 में भूखण्ड सं. 46-ए माप 15'-0'' गुणा 52'-6'' फीट का नियमन पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2024-25/101119 **लोक सूचना** दिनांक : 4.9.2024
गोकुलधाम डेवलपर्स जरिये पार्टनर्स अनुराग राजपाल पुत्र श्री अर्जुन राजपाल निवासी 814 वार्ड नं. 10, नजदीक ताराचन्द बाटिका, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर एवं श्री राजेश सिडाना पुत्र श्री चेतन प्रकाश निवासी 147 गली नं. 12, नजदीक खेत्रपाल मन्दिर, सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर एवं श्री विकास पाण्डे पुत्र श्री आशुतोष पाण्डे निवासी के-27 खालसा नगर, पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर एवं श्री मोहन सिंह राठौड पुत्र श्री रूड सिंह राठौड निवासी 3 ई छोटी, 1 बी शिव नगर, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	गोकुलधाम डेवलपर्स जरिये पार्टनर्स अनुराग राजपाल पुत्र श्री अर्जुन राजपाल एवं श्री राजेश सिडाना पुत्र श्री चेतन प्रकाश एवं श्री विकास पाण्डे पुत्र श्री आशुतोष पाण्डे एवं श्री मोहन सिंह राठौड पुत्र श्री रूड सिंह राठौड	चक 2 एमएल मुरब्बा नं. 39 के किला नं. 11/1 में 0.2280 है. किला नं. 12,13,14,15,16,17 व 18 प्रत्येक में 0.2530 है., यथाकुल 1.999 हैक्टेयर	कुल 1.999 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04.09.2024 को जारी की गयी।
- प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, **Circle-Bikaner**
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2024-25/561 दिनांक :- 04/09/2024

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना-1978 में चालान संख्या 26270 द्वारा राशि रू.4600/- जमा करवाकर श्री अशोक कुमार कवातडा पुत्र श्री मुलक राज कवातडा ने आवास आवंटन हेतुपंजीकरण करवाया था। आवंटी को आवास सं. 2-ई-7 पवनपुरी योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल207 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 12636 दिनांक 08.07.1982 को जारी किया गया था। उक्त आवास मूल आवंटी श्री अशोक कुमार कवातडा पुत्र श्री मुलक राज कवातडा के नाम मण्डल रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 31.12.1990 कन्वेशडीड/परिपिज्युल को जारी कर दी गई थी। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 31.12.1990 को पंजीकृत हैं। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार कवातडा पुत्र श्री मुलक राज कवातडा ने उक्त आवास का बैचान विक्रय पत्र के माध्यम से श्री अनिल कुमार चौहान पुत्र श्री नसीब चंद चौहान को किया गया। उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 22.7.2024 से पंजीकृत हैं।
श्री अनिल कुमार चौहान पुत्र श्री नसीब चंद चौहान ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है।श्री अनिल कुमार चौहान पुत्र श्री नसीब चंद चौहान का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यावाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अनिल कुमार चौहान पुत्र श्री नसीब चंद चौहान का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत बीकानेर

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, **Circle-Bikaner**
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2024-25/560 दिनांक :- 04/09/2024

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल में श्रीप्रहलाद पुत्र श्री गणपत नायक को आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था।आवंटी को वाद संख्या 7(210)/9/85 आवासीय भूखण्ड सं. 2/358 शिवबाड़ी आवासीय योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 210.00वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक453 दिनांक 05.08.2022 को जारी किया गया था। उक्त आवासीय भूखण्ड उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 26.08.2022 से पंजीकृत हैं।
आवंटी श्री प्रहलाद पुत्र श्री गणपत नायक ने उक्त आवासीय भूखण्ड का बैचान मुख्त्यारआम के माध्यम से श्री श्रेय चौपड़ा पुत्र श्री प्रवीण चौपड़ा को किया गया। उक्त मुख्त्यारआम उपंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक15.06.2022 से पंजीकृत हैं। आवंटी श्री श्रेय चौपड़ा पुत्र श्री प्रवीण चौपड़ा ने उक्त आवासीय भूखण्ड का बैचान विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमति मंजु जोईया पत्नि श्री कन्हैयालाल को किया गया। उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 24.08.2023 से पंजीकृत हैं।
श्रीमति मंजु जोईया पत्नि श्री कन्हैयालाल ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्रीमति मंजु जोईया पत्नि श्री कन्हैयालाल का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यावाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमति मंजु जोईया पत्नि श्री कन्हैयालाल का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत बीकानेर

जे.जे.एम. का 500 करोड़ का स्ट्रक्चर तैयार, सप्लाई पानी ही नहीं

बीकानेर,(कासं)। जल जीवन मिशन के तहत जिले में चल रहे करीब 500 करोड़ रूपये का स्ट्रक्चर ऐसी जगह तैयार हो गया जहां नहरी पानी नहीं मिल पा रहा। नहरी पानी की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद ही पीएचईडी ने जल जीवन मिशन का काम कर दिया। अब नहर विभाग का तर्क है कि केन्द्र से मिले 1200 करोड़ से चारों जलाशय बनेंगे तब पानी देंगे। फिलहाल पानी नहीं है।

दरअसल जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में हर घर नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। एक जगह बड़ा टैंक बनाकर फिर पाइपलाइन से गांवों तक पानी पहुंचाने की कोशिश है। मगर बीकानेर में पानी की सप्लाई के लिए सिर्फ नहर है। 19 जनवरी 2018 को ही इस काम के लिए 1031.16 क्यूसेक पानी मंजूर किया गया था। उस वक्त इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई थी। इसके बाद खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के 139 गांवों के लिए 389 करोड़ की परियोजना मंजूर हुई।

आरडी 682 पर पूरा सिस्टम बनने के बाद गांव-गांव पाइपलाइन बिछ गई। 139 गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए स्ट्रक्चर बिछने के साथ ही कोलायत के बीकमपुर, लूणकरनसर के भी करीब 15 गांव ऐसे हैं जहां स्ट्रक्चर तो बिछ गया पर पानी का सोर्स अभी तक तय नहीं है। नोखा सिर्फ ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां इस तरह की दिक्कत अब तक नहीं है। श्रीडूंगरगढ़ में तो जेजेएम का अभी टेंडर ही नहीं हुआ। ये दिक्कत खाजूवाला, कोलायत और लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र के गांव की है। खाजूवाला के सर्वाधिक 139 गांव हैं। नहर विभाग का कहना है कि अभी 1050 क्यूसेक पानी सप्लाई किया जा रहा है जो पर्याप्त है। नहर से 1031 क्यूसेक पानी देना मुश्किल है। क्योंकि नहर की क्षमता मौजूदा पेयजल के साथ सिंचाई को ही पूरा कर पाती है। इसलिए केन्द्र सरकार के 1200 करोड़ रूपए से जो चार नए एस्केप बन रहे हैं। उसमें पानी जमा करेंगे और उसी से हम इस अतिरिक्त पानी की भरपाई करेंगे।

अभी चारों एस्केप निर्माणाधीन हैं। बनने के बाद ये एस्केप मानसून और हरिके बैराज के अतिरिक्त पानी से भरे जाएंगे। पीएचईडी का कहना है कि जेजेएम का काम पानी की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद ही शुरू किया गया था। अब स्ट्रक्चर बना तो पानी मिलना चाहिए।

- 1200 करोड़ से चारों जलाशय बनेंगे तब पानी देंगे

कंप्यूटर टंकण परीक्षा 22 को

बीकानेर,(कासं)। मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा 22 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से गंगा थियेटर के पास स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की जायेगी।

परीक्षा आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ. दुलीचंद मीणा ने बताया कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त जिन कनिष्ठ सहायकों द्वारा इस वर्ष अप्रेल से जुलाई माह की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया है। उन समस्त आवेदकों को 12 सितम्बर तक अपने प्रवेश पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय की स्थापना शाखा (कमरा नं.13) से कार्यालय समय में स्वयं आकर प्राप्त करना होगा।

उन्होंने बताया कि टंकण परीक्षा का आयोजन टाइपिंग एक्जाम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।

बाइक सहित नाले में गिरने से दो युवक चोटिल

बीकानेर,(कासं)। तेज बारिश के दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक नाले में गिर गए। बाइक सहित गिरे इन युवकों को ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन बाइक नाले में ही पड़ी रही जिसे बीस घंटे बाद आज नगर निगम की क्रेन से बाहर निकाला गया।

बीकानेर के साजिद अपने भाई अब्दुला वकास के साथ बारिश के बाद काम जा रहा था। यहां रेलवे क्रासिंग के पास मटका गली से होकर निकल रहा था। तभी अचानक वे बाइक सहित नाले में जा गिरे। दरअसल नाले के चारों तरफ किसी तरह की बेरिकेडिंग नहीं थी। बारिश के कारण पानी से नाला उफान पर था। ऐसे में वाहन चालक साजिद को पता ही नहीं चला कि नीचे से कब सड़क से नाले में पहुंच गया। नाले गिरने के साथ ही जोर से आवाज होने पर लोगों ने उसे और भाई अब्दुला को बाहर निकाल लिया। ये सारी घटना पास ही एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर क्रेन के सहयोग से इस बाइक को बाहर निकाला। बाद में साजिद को मोबाइल फोन करके बुलाया और बाइक सुपुर्द की। साजिद का कहना है कि कई जगह से बाइक को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि उसे व उसके भाई को ज्यादा चोट नहीं आई। लोगों ने इस नाले को बंद नहीं करने पर विरोध जताया है।

- बारिश में नाला उफान पर था जिसमें दोनों भाई जा गिरे
- बीस घंटे बाद नगर निगम ने नाले से बाइक निकालकर सौंपी

सरोवर में नहाने उतरे पदयात्री की डूबने से मौत

बीकानेर,(कासं)। जिले के कोलायत थानान्तर्गत सरोवर में डूबने से एक पदयात्री की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि रामदेवरा पैदल जा रहे गंगानगर निवासी 22 वर्षीय राजेन्द्र नायक कोलायत सरोवर में स्नान करने उतरा था कि अचानक पैर फिसल गया। जिससे वह डूब गया।

वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया। किन्तु उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी भिजवाया। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। उधर जिले के लूणकरनसर थाना इलाके में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि शेखसर निवासी 29 वर्षीय तेजपाल पुत्र लूणाराम नहर में पानी पीने के लिए उतरा। अचानक पैर फिसलने के कारण नहर में गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। इसको लेकर इस संबंध में मृतक के भाई भगवानाराम ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए मर्ग दर्ज कराई है।

- गंगानगर निवासी राजेन्द्र नायक कोलायत सरोवर में स्नान करने उतरा था, अचानक पैर फिसलने से डूब गया

जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आज

बीकानेर,(कासं)। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 5 सितम्बर को जिला परिषद सभा भवन में दोपहर 12:15 बजे से आयोजित की जायेगी।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में एसएफसी एफएफसी का सप्लीमेंट्री प्लान , 10 लाख से अधिक विकास कार्यों का अनुमोदन किया जायेगा। पानी, बिजली और पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित पांच विभागों से संबंधित कार्य सहित गत करवाई का पठन और पुष्टि सह